

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3117
जिसका उत्तर शुक्रवार, 13 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में कमजोर वर्गों का प्रतिनिधित्व

3117. श्री रॉबर्ट ब्रूस सी :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 2014 से देश के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में वर्ष-वार नियुक्त न्यायाधीशों की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या यह सच है कि 2018 से 2022 तक, उच्च न्यायालयों में कुल 537 न्यायाधीश नियुक्त किए गए, जिनमें से 1.3 प्रतिशत एसटी, 2.8 प्रतिशत एससी, 11 प्रतिशत ओबीसी श्रेणी और 2.6 प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदायों से थे ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में उक्त समुदायों के न्यायाधीशों के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के क्या कारण हैं ; और

(घ) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में उक्त समुदायों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : सूचना उपाबंध में रखी गई है ।

(ख) से (घ) : उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 124, 217 तथा 224 के अधीन और 28 अक्टूबर, 1998 के उनकी परामर्शी राय (तीसरा न्यायाधीश मामला), जो किसी जाति या व्यक्तियों की श्रेणी के लिए आरक्षण का उपबंध नहीं करता है, के साथ पठित 6 अक्टूबर, 1993 के उच्चतम न्यायालय के निर्णय (दूसरा न्यायाधीश मामला) के अनुसरण में 1998 में तैयार किए गए प्रक्रिया के ज्ञापन (एमओपी) में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है।

तथापि, 2018 से उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के पदों के लिए सिफारिश किए गए व्यक्तियों के लिए विहित रूपविधान (उच्चतम न्यायालय के साथ परामर्श से तैयार किया गया) में उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि से संबंधित ब्यौरे उपबंध करना अपेक्षित है । सिफारिश किए गए व्यक्तियों द्वारा उपबंधित सूचना के आधार पर, 2018 से 684 उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई, जिनमें से 21 अनुसूचित जाति प्रवर्ग से संबंधित हैं, 14 अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग से संबंधित हैं, 82 अन्य पिछड़ा वर्गों के प्रवर्ग से संबंधित है तथा 37 अल्पसंख्यकों से संबंधित हैं (09.12.2024 की स्थिति के अनुसार) ।

प्रक्रिया के ज्ञापन (एमओपी) के अनुसार, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्तावों के आरंभ का उत्तरदायित्व भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ निहित है, जब कि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्तावों के आरंभ का उत्तरदायित्व उच्च न्यायालय के दो

ज्येष्ठतम-अवर न्यायाधीशों के परामर्श से संबद्ध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ निहित है । तथापि, सरकार उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से अनुरोध कर रही है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्तावों को भेजने के दौरान, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में सामाजिक विविधता सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों , अल्पसंख्यकों तथा महिलाओं से संबंधित उपयुक्त अभ्यर्थियों पर सम्यक रूप से ध्यान दिया जाए ।

2014 से उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में नियुक्त किए गए न्यायाधीशों की संख्या (09.12.2024 की स्थिति के अनुसार)

1. उच्चतम न्यायालय:

वर्ष	नियुक्तियों की संख्या
2014	09
2015	01
2016	04
2017	05
2018	08
2019	10
2020	--
2021	09
2022	03
2023	14
2024	04

2. उच्च न्यायालय:

वर्ष	नई नियुक्तियां
2014	82
2015	35
2016	126
2017	115
2018	108
2019	81
2020	66
2021	120
2022	165
2023	110
2024	34
